>

Title: Regarding alleged conspiracy to demolish the holy Ram Sethu in the name of Sethu Samudram project.

**योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर):** माननीय अध्यक्ष महोदया, आईटी ट्रिब्युनल नागपुर ने एक हिंदू विरोधी फैसला दिया है। नागपुर की स्थानीय शिव मंदिर व्यवस्थान पंच कमेटी ने एक याचिका दायर की थी और उसके तहत धर्म स्थलों को मिलने वाली आयकर में छूट के बारे में लिखा था। ट्रिब्युनल ने बहुत ही आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया और भगवान शिव, माता दुर्गा और हनुमान जी की पूजा को धार्मिक कार्य मानने या धार्मिक कार्य का हिस्सा मानने से इंकार कर दिया। एक सिलसिला बन चुका है कि जिसकी मर्जी आती है वह भारत की मूल और धार्मिक परंपरा के प्रति इस प्रकार की अनर्गल टिप्पणी कर देता है।

अध्यक्ष महोदया, सनातन हिंदू धर्म के अंदर शैव, वैष्णव, शाक्त तांत्रिक परंपरा आदि अनेक उपासना पद्धतियां हैं। किसी ट्रिब्युनल को किसी भी धार्मिक उपासना पद्धति के प्रति इस प्रकार की टिप्पणी करने का क्या अधिकार है? भारत में केवल इनकम टैक्स छूट का लाभ केवल किसी एक मज़हब विशेष को मिले, इस प्रकार का आग्रह करना भारत के पंथ निरपेक्ष व्यवस्था पर सीधा प्रहार है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि आईटी ट्रिब्युनल नागपुर द्वारा भारत की सनातन हिंदू वैदिक परंपरा के उपास्य देवी देवताओं के प्रति जिस प्रकार की अपमानजनक टिप्पणी की गई है, इसके लिए उन्हें तलब किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैं अनुरोध करता हूं कि हिंदू धर्म स्थलों को भी उसी प्रकार की सुविधा दी जाए जिस प्रकार अन्य मज़हब की उपासना करने वाले स्थलों को प्राप्त हो रही है।

**अध्यक्ष महोदया :**

श्री वीरेन्द्र कश्यप,

डॉ. वीरेन्द्र कुमार और

श्रीमती ज्योति धुर्वे इस मामले के साथ अपने आपको संबद्ध करते हैं।